राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3231/2025

कृपा शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर।
4. अभिषेक गुप्ता, शहीद प्रहलाद कुमार मीणा जीएसएसएस, रूपवास, (शहर) अलवर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.07.2025
आदेश की दिनांक : 18.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक कुमार बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–2 (अंग्रेजी) के पद पर शहीद प्रहलाद कुमार मीणा जीएसएसएस, रूपवास, (शहर) अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.06.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कोटा खुर्द, अलवर में किया गया है एवं आदेश दिनांक 30.06.2025 (अनुलग्नक–2) एवं 01.07.2025 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी एक विधवा महिला है अपीलार्थी के पति की मृत्यु दिनांक 17.11.2024 को हो गई थी (अनुलग्नक–5)। राज्य सरकार की नीति के अनुसार विधवा महिला को पास के स्थान पर पदस्थापित किया जाना चाहिए। अपीलार्थी का पदस्थापन भी प्रतिबंध अवधि में किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.06.2025 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 30.06.2025 (अनुलग्नक–2) एवं

01.07.2025 (अनुलग्नक–3) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यरत रखा जावे।

हमने अपीलार्थी की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 30.06.2025 (अनुलग्नक–1) कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 30.06.2025 (अनुलग्नक–2) एवं 01.07.2025 (अनुलग्नक–3) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी विधवा महिला है। उपर्युक्त मामलें की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में चार सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य पदस्थापन आदेश दिनांक 30.06.2025 (अनुलग्नक–1) कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 30.06.2025 (अनुलग्नक–2) एवं 01.07.2025 (अनुलग्नक–3) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है तथा अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे जहां वह चुनौती आदेश से पूर्व कार्यरत था। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष